सं0 1–40014/19/1998/रा.भा.–26
महानिदेशालय, भा0ति0सी0पु0 बल
गृह मंत्रालय/भारत सरकार
खंड–2, केंद्रीय सरकार कार्यालय परिसर
लोदी रोड़, नई दिल्ली–03.

दिनांक: 11-2-16

कार्यालय ज्ञापन

विषय: निरीक्षक (हिंदी अनुवादकों) के कर्तव्य निर्धारण हेतु दिशा–निर्देश।

उपर्युक्त विषयक बल में तैनात निरीक्षक (हिंदी अनुवादकों) की चार्टर ऑफ ड्यूटी (कर्तव्य निर्धारण) महानिदेशालय के दि. 03.05.2002 व 19.07.2007 के का0ज्ञा0 सं0–570 व 1046 द्वारा सभी कार्यालयों को परिचालित की गई हैं लेकिन फिर भी बहुत से कार्यालयों में अनुवादकों से राजभाषा हिंदी के कार्यों के अतिरिक्त उनकी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए लिपिकीय/पुस्तकालय/संपर्क/दैनिक ड्यूटी एस.ओ./संचलन/भर्ती प्रक्रिया आदि से संबंधी लंबी अवधि के कार्य संपादित करवाए जा रहे हैं जबकि किसी भी अनुवादक को राजभाषा संबंधी कार्यों के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य सौंपने से पूर्व महानिरीक्षक (मुख्या0) अब महानिरीक्षक (प्रशासन) की अनुमति लेना अनिवार्य है परंतु वर्तमान में ऐसा नहीं किया जा रहा है। किसी भी कार्यालय द्वारा अनुवादक से न्यायिक जांचों का अवांछनीय अनुवाद करवाना उचित प्रतीत नहीं होता हैं बल्कि अनुवादक के मासिक कार्यों की रिपोर्ट में इस प्रकार का अनुवाद दर्शाना अनुवादक से संपादित करवाए जा रहे अन्य कार्यों को छिपाने के आशय को भी इंगित करता है। अनुवादक का पद एक कार्यालय में एकाकी व संवैधानिक पद है जिससे उन्हें अन्य कार्यों या दीर्घ अवधि की ड्यूटी पर लगाने या अन्यत्र संलग्न करने से राजभाषा कार्यान्वयन के कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है साथ ही महानिदेशालय द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों की अवहेलना भी होती है।

2. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए बल के सभी अधीनस्थ कार्यालयों में तैनात निरीक्षक (हिंदी अनुवादकों) व है.कां./सी.एम. (हिंदी टंकक) के कर्तव्य निर्धारण हेतु निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किए जाते हैं:–

(क) कार्यालय में तैनात निरीक्षक (हिंदी अनुवादक) व है.कां./सी.एम. (हिंदी टंकक) द्वारा मूलतः राजभाषा संबंधी कार्य ही निष्पादित किए जाने चाहिए क्योंकि भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु बल के प्रत्येक कार्यालय में निरीक्षक (हिंदी अनुवादक) व है.कां./सी.एम. (हिंदी टंकक) के पद स्वीकृत किए गए हैं ।

(ख) निरीक्षक (हिंदी अनुवादक) से उनकी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर लिपिकीय/पुस्तकालय/संपर्क/दैनिक ड्यूटी एस.ओ./संचलन/भर्ती प्रक्रिया/कोर्ट केस से संबंधित लंबी अवधि के कार्यों में नियुक्त न किया जाए इससे कार्यालय की राजभाषा नीति के सफल क्रियान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(ग) निरीक्षक (हिंदी अनुवादक) से कोर्ट केस/विधिक/न्यायिक जांच की प्रकृति जैसे अप्राधिकृत अनुवाद न करवाए जाएं क्योंकि उक्त प्रकार के अनुवाद हेतु अलग से विधि मंत्रालय एवं केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो स्थापित किए गए हैं जो ऐसे अनुवाद हेतु प्राधिकृत एजेंसियां हैं।

(घ) किसी भी कार्यालय में राजभाषा नीति के सफल कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व संबंधित कार्यालय अध्यक्ष का है हिंदी अनुवादक के पद केवल उनकी सहायता/असिस्ट करने के लिए स्वीकृत किए गए हैं ।

लगातार.....02/–

2. किसी अनुवादक को राजभाषा संबंधी कार्य के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य सौंपने से पूर्व महानिरीक्षक (प्रशासन) का पूर्व अनुमोदन लेना अनिवार्य होगा तथा निरीक्षक (हिंदी अनुवादकों) की लंबी अवधि की ड्यूटियों एवं राजभाषा कार्यों के इतर अन्य कार्य के लिए अन्य कार्यालय/स्थानों पर संलग्न न किया जाए।

3. अतः उपर्युक्त सभी निर्देशों को समुचित पालन करने हेतु प्रत्येक कार्यालय पूरी गंभीरता अपनाएं और भारत सरकार की राजभाषा नीति के सफल कार्यान्वयन में अपना सतत योगदान दें।

(के0बी0 सिंह)
महानिरीक्षक (प्रशासन)

सेवा में,

1. सभी फ्रंटियर मुख्या0/क्षे0मु0/प्रशि0के0/आ0चिचि0/वाहिनियां, भा0ति0सी0 पुलिस।
2. निजी सचिव, महानिरीक्षक (प्रशा0), महानिदेशालय, भा0ति0सी0पु0 को कृपया सूचनार्थ।
3. गार्ड मिसिल ।